न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 52/2017

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थी
1. वीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति महजबी निवासी 10 ओ तहसील श्रीकरणपुर	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 21.06.2017

उपस्थितः 1.श्री सुभाष गोयल अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- **दिनांक : 18/10/2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 2 ओ के खाता संख्या 86/79 के मुरब्बा नम्बर 31 में 2.151 हैक्टर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने सहकाश्तकारों के साथ घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा मुताबिक मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11, 12 सालम-सालम प्रार्थी के हिस्सा में आया हुआ है। व उस पर शातिंपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थी का चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11, 12 नहरी है और पानी की पर्ची प्रार्थी के नाम की है। प्रार्थी उसमें सिचाई कर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त रकबा नहरी आवंटित हुआ था और राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 2018 में नहरी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के 3-1/2 बीघा आराजी जरिये बैयनामा दिनांक 24.05.1977 खरीद की गई थी। जिसमें मुरब्बा नम्बर 31 का बीघा नम्बर 11 व 12 नहरी खरीद की गई थी। जिसका नामान्तरण चक 2 ओ के नामान्तरण रजिस्टर के नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 28.11.1978 को दर्ज किया गया था। प्रार्थी की आराजी सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2035 में चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 नहरी की बजाय बारानी दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी को वर्तमान में जमाबन्दी निकलवाने से मालूम हुआ कि प्रार्थी की आराजी नहरी की बजाये बारानी दर्ज हो गई है। प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती बाबत हलका पटवारी से कहा तो उसने श्रीमान् जी के समक्ष चाराजोही करने को कहा। प्रार्थी ने सहखातेदारों को इसलिए पक्षकार नहीं बनाया, क्योंकि उपरोक्त आराजी प्रार्थी के हिस्सा में आयी है और प्रार्थी उस पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। सहकाश्तकारों के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 की [illegible] के स्थान पर नहरी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को [illegible] नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नम्बर 1 ता 5, 11 ता 13, 14/0.127 कुल 2.151 हैक्टर बारानी रकबा वीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति महजबी निवासी 10 ओ के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। संवत 2018 ता 2021 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 कुल 0.506 हैक्टर रकबा नहरी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 2018 में भी मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 नहरी दर्ज है। भू प्रबंध विभाग की जमाबन्दी संवत 2027 ता 36 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 बारानी दर्ज है। जो वर्तमान में भी बारानी ही चले आ रहे है। वर्तमान में उक्त किला नम्बर 11 व 12 पर मौके पर गेंहू की फसल खडी है। मौके पर पानी लगाया जा रहा है।

बहस सुनी गई। व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट , रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 18, चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 21, इन्तकाल दिनांक 28.11.1978, भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 36, पर्ची बाराबन्दी जल उपयोक्ता संगम 40 एफ, सीसीए चक प्लान जल संसाधन उत्तरखण्ड की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी ग्राम 2 ओ की प्रमाणित प्रति, चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103/86 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103/86 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 की 0.506 हैक्टर बारानी भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हलका 10 ओ तेजेवाला के मुताबिक चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 5, 11 ता 13, 14/0.127 कुल 2.151 हैक्टर बारानी रकबा वीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति महजबी निवासी 10 ओ के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2014 ता 2018 में भी मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 नहरी दर्ज है। भू प्रबंध विभाग की जमाबन्दी संवत 2027 ता 36 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 बारानी दर्ज है। जो वर्तमान में भी बारानी ही चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त किला नम्बर 11 व 12 पर मौके पर गेंहू की फसल खडी है। मौके पर पानी लगाया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के सीसीए चक प्लान में उक्त रकबा कमाण्ड है तथा जल उपयोक्ता संगम की पर्ची बाराबन्दी प्रार्थी वीर सिंह के नाम बंधी हुई है। अतः स्पष्ट है कि चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2078 ता 21 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 की 0.506 हैक्टर भूमि नहरी दर्ज थी। उसके बाद भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 36 में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 सहवन से बारानी दर्ज हो गए। यह एक लिपिकिय टंकनीय त्रुटि है। जिसे सही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:48 IST
Reason: SelfAttested

:-आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित [illegible] जाकर चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103/86 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 की 0.506 हैक्टर बारानी भूमि को बारानी से नहरी अंकित किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

आदेश दिए जाते है। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन आपके द्वार अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 56 F में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– राजस्व/2021/381

दिनांक :– २१/१०/२१

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 52/2017 अनवान वीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 18.10.2021 संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 103/86 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 11 व 12 की 0.506 हैक्टर बारानी भूमि को बारानी से नहरी अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:48 IST
Reason: SelfAttested